


11/10/21

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
गत आदेशानुसार पत्रावली अखण्ड दिनांक
20/12/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिवार
नवलगढ़

20/12/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
उपस्थित नर। की और से वकील सुरेन्द्र भारी उपस्थित।
जवाब दावा एवं वसूलत मामला पेश करने हेतु
आदेश जारी। पत्रावली दिनांक 21/12/21 को

उपस्थित
वकील


पेश की 
ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ़

21/12/21

पत्रावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा
कोरोना महामारी निरोध जारी होने पर पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 21/12/21 को पेश हो।


ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ़

21/12/21

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
उपस्थित नर। की और से वकील की
सुरेन्द्र भारी ने वसूलत मामला एवं इतनाली
जवाब दावा पेश किया। पत्रावली दिनांक
21/12/21 को पेश की 



ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ़

21/12/21

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
हेतु सरकार वादों पर प्रस्ताव दिनांक 21/12/21
को पेश की 

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ़

01/11/21

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी को न्यायालय समक्ष
तक बार-बार आज्ञा लगाई परन्तु इन्की और से
कोई भी उपस्थित नहीं। फलस्वरूप वाद वादी छद्म दायी वपेंदी
में खानि किया जाता है। पत्रावली केसल सुमा  दर्ज नम्बर
से उभरे तथा वाद तस्मीत जाहा दाखिल करके
निर्णय आज खील न्यायालय में सुनाया गया। 

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ़